

प्रेस नोट-27

दिनांक-11.09.2026

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के अभियुक्तों को मा० न्यायालय द्वारा 02 वर्ष साधारण कारावास व 7000 रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मानीट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुलतानपुर में मु०अ०सं० 767/17 धारा 323/325/504 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी के अभियुक्तगण 1.मो० अयूब सिद्दीकी पुत्र मो० ईदू 2.मो० शाहिद पुत्र मो० अयूब सिद्दीकी निवासीगण मेहनवारा जगमलपुर थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप मा० न्यायालय एसीजेएम-23 सुल्तानपुर द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को दिनांक 10.09.2026 को धारा 325 भादवि में 02 वर्ष साधारण कारावास व 3000 रु० अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 03 माह का साधारण कारावास व 500 रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी एवं धारा 504 भादवि में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

प्रश्नगत अभियोग में वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 13.09.2017 की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा वादी के साथ गाली गलौज देना, मार-पीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने पर मु०अ०सं० 767/17 धारा 323/325/504 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी पर पंजीकृत होकर विवेचक उ०नि० श्री पारसनाथ सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्या: ए-138 दिनांक 08.10.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।